

प्रारूप-52

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-9 के अन्तर्गत एन0 एच0 94 से खरादी नगाणगौव के किमी0 9.00 से बचाणगौव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु0 में)	धनराशि (रु0 में)
			लं0	चौ0	ऊँचाई				
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना	01	0.30	0.30	0.20	0.018	cum	275.20	4.95
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना	01				LS @2Kg	Kg	35.00	70.00
3	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	01	0.30	0.30	1.20	0.108	cum	8685.10	938.00
4	आर0सी0सी0 कार्य हेतु सरिया कट करना	4 m 12mm dia				3.52	Kg	57.80	203.45
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	1 र 4	0.30x4	0.30	1.00	0.36	sqm	188.80	67.97
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	01				LS		10.00	10.00
7	पानी की ढुलाई आदि					N/A			
	कुल योग								1294.37

एक पिलर हेतु

रु0 1294.37 अथवा रु0 1295.00

कुल पिलर - 86 नं0

कुल रु0 111370.00

अधिशाली अभियंता

प्रभागीय वन अधिकारी
अपर यमुना वन अधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट उत्तरकाशी

प्रभागीय वन अधिकारी
यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

3 (प्रमाणित)
20.08
नगाणगौव